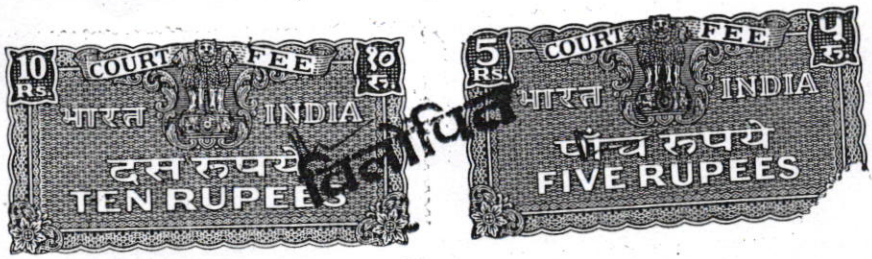

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs.

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

विलोपित

69

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी

R 606/II/06

(१) विजय सिंह पुत्र जयसिंह राव

(२) रामचन्द्र पुत्र उदय सिंहराव

नाती- (ग्राण्ड-सन्स) अमृतराव पुत्र सम्भाजीराव

मराठा दोनों निवासी पुणे (महाराष्ट्र)

व्दारा मुख्त्यारआम उदय सिंह पुत्र जयसिंह राव

ईंगले, निवासी फिजीकल रोड, शिवपुरी,

जिला-शिवपुरी ।

------ आवेदकगण

श्री ए. के. ... द्वारा आज दि० 28/3/06 ...
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बिरूध्द

कमरलाल पुत्र राजाराम किरार,

निवासी बांसखेड़ी परगना व जिला शिवपुरी ।

------- अनावेदक

28/3/06

निगरानी बिरूध्द आज्ञा अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर तारीख २३-१-२००६ अन्तर्गतधारा ५० मू-रा०सं० प्र० क्र० 27/99-2000 अपील वउन्वानविजय सिंह कमरलाल

माननीय,

निगरानी आवेदकगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण प्रकरण के तथ्यों को सही प्रकार से नहीं समझा आदेश अधीनस्थ न्यायालय स्पीकिंग आदेश न होने से निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदकगण न्याय पाने सेवंचित रहे हैं ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 606–दो/06 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–11–16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र0क्र0 27/1999–00/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि सर्वे नं0 किता 4 रकबा 1.50 है0 पर 15 वर्ष पूर्व 20, 000/– रुपये भुगतान पर भूमि पट्टे पर प्राप्त करने के आधार पर संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत नामांतरण की मांग की गई। तहसील न्यायालय द्वारा अपने प्र0क्र0 10/97–98/अ–46 में पारित आदेश दिनांक 29.05.98 के द्वारा आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने प्र0क्र0 20/1998–99/अपील में पारित आदेश दिनांक 11.06.99 द्वारा अपील अस्वीकार किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर	

आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पेश किया गया । जहां प्रकरण क्रमांक 27/1999–00/अपील पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 द्वारा अस्वीकार किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा फर्जी कार्यवाही करके आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमिस्वामी अमृतराव का देहांत 1967 में हो चुका था, जबकि मृतक के विरूद्ध अनावेदक ने वर्ष 1998 में नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया है । आवेदकगण मृतक भूमिस्वामी के उत्त्राधिकारी है और 1966 में उन्हें वसीयत के द्वारा उत्तराधिकारी भी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया है । अधीनस्थ अपर आयुक्त ग्वालियर ने भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा अपने हक में संपादित वसीयत वर्ष 1966 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी,

शिवपुरी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं यह तथ्य भी उल्लेखित किाय कि भूमिस्वामी का देहांत वर्ष 1967 में हो चुका था। वसीयत की छायाप्रति जो अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसमें नोटरी के द्वारा 6.11.98 की मुद्रा अंकित है, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि वर्ष 1998 में वसीयत की नोटरी कराई गई है। मुख्त्यारआम भी वर्ष 1998 में संपादित किया जाना प्रकट है। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत पक्षकारों को सूचना जारी किया गया, किन्तु कोई नियम दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ और तहसील न्यायालय द्वारा आगामी कार्यवाही भूमिस्वामी की अनुपस्थिति में की गई, जो अपने स्थान पर उचित है। आवेदकगण द्वारा वर्ष 1966 की वसीयत के आधार पर 33 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई, जबकि इतने लंबे अवधि के विलम्ब के बारे में कोई समानधानकारण कारण भी नहीं बताया गया है। अरजिस्ट्रीकृत बिल के आधार पर नामांतरण का दावा वसीयतकर्ता की मृत्यु के दो वर्ष पश्चात किया जाना संदेह उत्पन्न करता है। 1191 आर0एन0 135, बिल के आधार पर नामांतरण के दावे में 7 वर्ष के विलम्ब में 7 वर्ष के विलम्ब से बिल संदिग्ध हो जाता है। 1998 आर0एन0 147, उच्च न्यायालय, स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा निरंतर 33 वर्ष तक वसीयत के आधार पर कोई हक की मांग न करने कारण वसीयत स्वतः संदिग्ध है और वसीयत के आधार पर आवेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते है। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा

आवेदकगण की अपील को निरस्त करके उचित निर्णय लिया गया है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने विस्तृत आदेश में किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य